संख्या- 6/2016/996/44-1-2016/40/2016

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन 1

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के
प्रबन्ध् निदेश/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तर प्रदेश 1

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग'-1 लखनऊ दिनांक 14 सितम्बर, 2016

विषय - मकान किराया भत्ता में वृध्दि किये जाने हेतु मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में 1

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग'2 के पत्र संख्या 47/2016/वे0आ0-2'2017/दस'08 (मु0स0स0) /2011टी0सी दिनांक 19 अगस्त, 2016 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों को अनुमन्य मकान किराये भत्ते की दरों में व्रध्दि किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें 1

संलग्नक'-यथोक्त

भवदीय,

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव

संख्या- 6/2016/996/44'1'2016,तददिनांक

प्रतिलिपि महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 1

आज्ञा से,

मुरारी लाल
अनु सचिव 1

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं॰ - 966/44-1-2016

संख्या-47/ 2016/ वे0आ0-2- 1017/ दस-08(मु0स0स0)/ 2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

f. No. 40/2016
Sl-2

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 19 अगस्त, 2016

विषय- मकान किराया भत्ता में वृद्धि किये जाने हेतु मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मकान किराया भत्ता में वृद्धि किये जाने हेतु मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय विभागों के कार्मिकों के समान स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों के कार्मिकों को वर्तमान में अनुमन्य मकान किराये भत्ते की दरों में 20 प्रतिशत् की वृद्धि (अगले 10 रूपये में पूर्णांकित करते हुये) करते हुये निम्नवत् मकान किराया भत्ता दिनांक 01 अगस्त, 2016 से इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान किया जाये कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार का वहन सम्बन्धित संस्था द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी तथा भारत सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य में गठित वेतन समिति द्वारा मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु संस्तुतियां प्रदान करते समय उक्त वृद्धि को संज्ञान में लिया जायेगा :--

क्र0 सं0	ग्रेड वेतन/ पेतनमान	श्रेणी-ए, बी-1 तथा बी-2 के नगरों में		श्रेणी-सी के नगरों में		अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्र	
		वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1300	900	1080	450	540	300	360
2	1400	930	1120	465	560	310	380
3	1650	980	1180	490	590	325	390
4	1800	1100	1320	550	660	365	440
5	1900	1160	1400	580	700	385	470
6	2000	1200	1440	600	720	400	480

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24/8/2016

7	2400	1470	1770	735	890	490	590
8	2800	1670	2010	830	1000	555	670
9	4200	2020	2430	1010	1220	670	810
10	4600	2760	3320	1380	1660	920	1110
11	4800	2810	3380	1405	1690	935	1130
12	5400	3150	3780	1575	1890	1050	1260
13	6600	3780	4540	1890	2270	1260	1520
14	7600	4480	5380	2240	2690	1490	1790
15	8700	6910	8300	3455	4150	2300	2760
16	8900	7280	8740	3640	4370	2430	2920
17	10000	8200	9840	4100	4920	2730	3280
18	वेतनमान 67000-79000	9200	11040	4600	5520	3000	3600
19	वेतनमान 80000 नियत	10500	12600	5250	6300	3500	4200

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अग्रिम कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-47/ 2016/ वे0आ0-2-1017(1)/ दस-08(मु0स0स0)/ 2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।